राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर
(जी–3, राजमहल पैलेस रेजिडेन्शियल एरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गौदाम जयपुर–302013)
(टैलीफैक्स–0141–2222403, ई–मेल–dlbrajasthan.gmail.com वेब साईट www.lsgraj.org)

क्रमांकः–एफ.1(ग)का/स.कर्म.भ./एसएमई/एलएसजी/18/ 1526 दिनांक :– 20/4/18

(राज्य की नगरीय निकायों में सफाई कर्मचारियों की भर्ती हेतु संशोधित विज्ञापन)

विज्ञापन संख्या 2/2018

माननीय मुख्यमंत्री की बजट घोषणा वर्ष 2018–19 की अनुपालना में राज्य की 184 नगरीय निकायों में 21136 सफाई कर्मचारियों की भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 1/2018 जारी किया गया था, उक्त विज्ञापन में निम्नानुसार संशोधन किया जाता हैः–

1. विज्ञापन संख्या 1/12 एवं 2/12 हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों में दो वर्ष का अनुभव चाहा गया था लेकिन विज्ञापन संख्या 1/18 में आवेदकों से सक्षम अधिकारी द्वारा जारी एक वर्ष का अनुभव प्रमाण पत्र मांगा गया है। अतः पूर्व आवेदकों को नवीन भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 1/18 में वांछितानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में जारी अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित नगरीय निकाय में दिनांक 15.5.18 से पूर्व प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त तिथि तक अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही किये जाने पर आवेदक चयन हेतु लाटरी प्रकिया में अपात्र होगा।

2. विज्ञापन संख्या 1/12 एवं 2/12 में प्राप्त आवेदन पत्रों के साथ शपथ पत्र की अनिवार्यता नही रखी गई थी लेकिन विज्ञापन संख्या 1/18 में दिनांक 1.6.2002 के पश्चात तीसरी संतान नही होने एवं एक ही नगरीय निकाय में एक ही आवेदन प्रस्तुत करने के शपथ पत्र की अनिवार्यता रखी गई है। अतः पूर्व आवेदकों को निर्धारित प्रारूप में दिनांक 15.5.18 तक शपथ पत्र संबंधित निकाय में प्रस्तुत करना होगा।

3. विभागीय आदेश कमांक 789 दिनांक 13.4.18 के द्वारा सफाई कर्मचारियों भर्ती हेतु गठित लाटरी समिति में उप निदेशक(क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग के स्थान पर संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी को सदस्य सचिव घोषित किया जाता है एवं लाटरी प्रकिया दिनांक 25 व 26 जून 2018 के स्थान पर दिनांक 25 जून से 29 जून के मध्य जिला मुख्यालय पर सम्पादित की जावेगी।

4. विभागीय वेबसाईट www.lsg.urban.rajasthan.gov.in व जनसम्पर्क निदेशालय की वेबसाईट www.dipronline.org पर अपलोड विज्ञापन क्रमांक 548 दिनांक 13.4.18 में आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची के कम संख्या 2 में अंकित सक्षम अधिकारी द्वारा जारी कार्य–अनुभव प्रमाण पत्र,(यदि कोई हो तो) मे से (यदि कोई हो तो) वाक्यांश एवं अनुभव प्रमाण पत्र के निर्धारित प्रारूप में "गैर सरकारी संस्था" वाक्यांश को तत्काल प्रभाव से विलोपित किया जाता है।

(पवन अरोड़ा)
निदेशक एवं संयुक्त सचिव